

फैक्स

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय ।

पटना, दिनांक...२९/८/१५

विषय:- लखीसराय जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-४६१/विधि, दिनांक-०१.०६.२०१५ के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को लखीसराय जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
१.	श्री दिनेश कुमार मंडल	९९८/९२
२.	श्री गुप्तेश्वर सिंह	२५२/८७
३.	श्री फारूक आलम	१६७६/९३
४.	श्री रामानन्द ठाकुर	५५०/९९
५.	श्री बच्चू प्रसाद	१२६२/८७
६.	श्री राम विलास शर्मा	७७२/८५
७.	श्री हरेराम शर्मा	०९/९५
८.	श्रीमती मंजू कुमारी	५६३०/९६
९.	श्री सुरेन्द्र मंडल	७५७४/९६

- उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।
- इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।
- इस शर्त के साथ नियुक्ति की अनुशंसा की गई कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-०९ पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।


विश्वासभाजन



(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक:-५५३/जे०, पटना, दिनांक:-२९/८/१५

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-५५३/जे०, पटना, दिनांक:-२९/८/१५

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।